

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1039 /2021

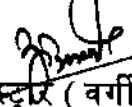
दिनांक : 05.05.2021

श्री अश्विनी कुमार यादव (RJ0329), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, क्रम-02, उदयपुर को दिनांक 30.03.2021 से 01.04.2021 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 27.03.2021 से 29.03.2021 एवं 02.04.2021 एवं 04.04.2021 के राजपत्रित अवकाशों एवं 03.04.2021 के ऐच्छिक अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री यादव की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश उदयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, क्रम-02, उदयपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 05-05-2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/33/2000/ 2876

दिनांक 05.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, क्रम-02, उदयपुर को उनके पत्रांक 73 दिनांक 05.04.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री अश्विनी कुमार यादव (RJ0329), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, क्रम-02, उदयपुर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर।



सहायक रजिस्ट्रार